Amire Ahle Sunnat Se Zakaat Ke Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 288
Weekly Booklet : 288

अमीरे अहले सुन्नत से ज़कात के बारे में सुवाल जवाब

(क़िस्त : 1)

सफ़हात 21

ज़कात कब फ़र्ज़ होती है ? 02
इस्ति'माल वाली ज्वेलरी पर ज़कात का हुक्म 07
क्या ज़कात नक़्द रक़म से ही अदा होती है ? 05
बहन भाई का एक दूसरे को ज़कात देना कैसा ? 13

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल
मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ के मल्फ़ूज़ात का तह़रीरी गुलदस्ता

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (مُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : **अमीरे अहले सुन्नत से ज़कात के बारे में सुवाल जवाब**

सिने त़बाअ़त : रजबुल मुरज्जब **1444** हि., फ़रवरी **2023** ई.

ता'दाद : 000

नाशिर : **मक्तबतुल मदीना**

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**अमीरे अहले सुन्नत से ज़कात के बारे में सुवाल जवाब**" मजलिसे **अल मदीनतुल इल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअए मक्तूब, Email या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात।

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)। (تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵۱ ص ۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ फ़रमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه से किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है।

अमीरे अहले सुन्नत से ज़कात के बारे में सुवाल जवाब (क़िस्त : 1)

दुआए जा नशीने अ़त्तार : या रब्बल मुस्त़फ़ा ! जो कोई 19 सफ़्हात का रिसाला : **''अमीरे अहले सुन्नत से ज़कात के बारे में सुवाल जवाब''** पढ़ या सुन ले उसे सदक़ाते वाजिबा व नाफ़िला अदा करने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमा और उस के माल व उ़म्र में बरकत अ़त़ा फ़रमा।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : फ़र्ज़ ह़ज करो, बेशक इस का अज्र बीस ग़ज़वात में शिर्कत करने से ज़ियादा है और मुझ पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ना इस के बराबर है। (مسند فردوس، 1/339، حدیث:2484)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

सुवाल : ज़कात न देने के क्या नुक़्सानात हैं ?

जवाब : प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : ख़ुश्की और तरी, दरिया में, ज़मीन में, समुन्दर में जो माल ज़ाएअ़ हुवा है वोह ज़कात न देने की वज्ह से तलफ़ हुवा है। (مجمع الزوائد، 3/200، حدیث:4335) एक और

मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : ज़कात का माल जिस में मिला होगा (या'नी मिक्स होगा) उसे तबाहो बरबाद कर दे।

(شعب الایمان، 3/243، حدیث:3522) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/73)

सुवाल : ज़कात कब फ़र्ज़ होती है ?

जवाब : अगर किसी के पास ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी मसलन रिहाइश के लिये मकान, सुवारी के लिये गाड़ी, कारीगर के लिये औज़ार वग़ैरा से ज़ाइद साढ़े बावन तोले चांदी की मालिय्यत का माले नामी आ जाए (और दीगर शराइत पाई जाएं) तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। नीज़ ज़कात तीन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है : पहली चीज़ समने अस्ली या'नी सोना, चांदी और नक़्दी। अगर येह ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी से ज़ाइद हों तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। दूसरी चीज़ तिजारत का माल और तीसरी चीज़ चराई के जानवर जिन को फ़िक़्ह की इस्तिलाह में "साइमा" कहा जाता है। (بدائع الصنائع، 2/75، فتاوی ہندیہ، 1/174) अगर्चे इन जानवरों से हर एक को वासिता नहीं पड़ता, लेकिन फ़िक़्ह में इन का भी पूरा चेप्टर मौजूद है। ताजिर ह़ज़रात या वोह औ़रतें जिन के पास सोने चांदी के ज़ेवरात मौजूद हैं और उन की मालिय्यत निसाब को पहुंचती है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर किसी के पास सिर्फ़ सोना है तो साढ़े सात तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और अगर कुछ सोना है और कुछ चांदी है और कुछ रक़म भी मौजूद है अगर्चे एक रुपिया ही सही तो इन सब को मिला कर मालिय्यत लगाई जाएगी, अगर येह मालिय्यत साढ़े बावन तोले चांदी की रक़म के बराबर बन जाती है और इस पर साल भर गुज़र चुका है तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ज़कात की मिक़्दार कुल माल का ढाई फ़ीसद है या'नी सो रुपै

में ढाई रुपिया ज़कात बनेगी।[1] (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/209)

सुवाल : साल पूरा होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, मगर सरमाया दार त़बक़ा बल्कि मज़्हबी नज़र आने वाले अफ़राद को भी येह मा'लूम नहीं होता कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिये साल के पूरा होने से क्या मुराद है ? बिल ख़ुसूस सरमाया दार त़बक़ा येह समझता है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात देना होती है, लिहाज़ा इस ह़वाले से राहनुमाई फ़रमा दीजिये।

जवाब : मश्हूर येही है और लोग भी येही समझते हैं कि ज़कात रमज़ानुल मुबारक में देनी चाहिये, ह़ालां कि ऐसा नहीं है। याद रखिये ! जब भी कोई साह़िबे निसाब हो जाए और ज़कात की शराइत़ पाई जाएं तो वोह तारीख़ चाहे रमज़ानुल मुबारक की हो या मुह़र्रमुल ह़राम शरीफ़ की, ख़्वाह कोई सा भी महीना हो, साल पूरा होने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, मसलन कोई शख़्स मुह़र्रमुल ह़राम शरीफ़ की दो तारीख़ को दोपहर के बारह बज कर बारह मिनट पर साह़िबे निसाब हुवा तो अब जब आइन्दा साल मुह़र्रमुल ह़राम शरीफ़ की दो तारीख़ को दोपहर के बारह बज कर बारह मिनट होंगे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, जब कि दौराने साल निसाब बिल्कुल ख़त्म न हुवा हो अगर्चे उस में कमी बेशी वाक़ेअ़ हुई हो, लिहाज़ा अब

1 ... सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत़्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ज़कात वाजिब होने की शराइत़ ज़िक्र करते हुए फ़रमाते हैं : ज़कात वाजिब होने की 10 शर्तें हैं : (1) मुसल्मान होना (2) बुलूग़ (बालिग़ होना) (3) अ़क़्ल (4) आज़ाद होना (5) माल ब क़दरे निसाब उस की मिल्क में होना, अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब न हुई (6) पूरे तौ़र पर उस का मालिक हो या'नी उस पर क़ाबिज़ भी हो (7) निसाब का दैन से फ़ारिग़ होना (8) निसाब ह़ाजते अस्लिय्या से फ़ारिग़ हो (9) माले नामी होना या'नी बढ़ने वाला ख़्वाह ह़क़ीक़तन बढ़े या ह़ुक्मन (10) साल गुज़रना, साल से मुराद क़मरी साल है या'नी चांद के महीनों से बारह महीने।

(बहारे शरीअ़त, 1/875, ह़िस्सा : 5 माख़ूज़न)

अगर येह शख़्स रमज़ानुल मुबारक का इन्तिज़ार करेगा कि रमज़ानुल मुबारक में ज़ियादा सवाब मिलता है, इस लिये रमज़ानुल मुबारक में ज़कात दूंगा तो गुनाहगार होगा। (فتاوی ہندیہ، 1/170 ماخوذاً) ज़कात का वक़्त पूरा होते ही अगर कोई रुकावट न हो तो ह़क़दार को फ़ौरन ज़कात अदा करनी होगी। जो लोग टुकड़ों टुकड़ों में ज़कात अदा करते और अपने पास भीड़ लगा कर दस दस रुपै बांटते हैं, हो सकता है इस त़रह़ बांट कर वोह लुत़्फ़ उठाते हों, मगर उन का ज़कात अदा करने का येह त़रीक़ा दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई रमज़ानुल मुबारक में इस लिये ज़कात देना चाहता है कि सवाब बढ़ जाता है तो वोह रमज़ानुल मुबारक में एडवान्स में ज़कात दे सकता है। (فتاوی ہندیہ، 1/176) मसलन जो शख़्स मुह़र्रमुल ह़राम शरीफ़ की दो तारीख़ को दोपहर के बारह बज कर बारह मिनट पर साह़िबे निसाब था वोह (साल पूरा होने से) तीन महीने पहले रमज़ानुल मुबारक में एडवान्स ज़कात अदा कर दे।[1] (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/27)

सुवाल : लोगों की एक बड़ी ता'दाद ऐसी है कि जिन के बड़े बड़े कारोबार हैं मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि वोह कब साह़िबे निसाब हुए ? तो क्या वोह अपना येह ज़ेह्न बना सकते हैं कि वोह हर साल यकुम रमज़ानुल मुबारक को अपने माल की ज़कात अदा करेंगे ?

जवाब : जी नहीं ! अगर वोह रमज़ानुल मुबारक से पहले मसलन शव्वालुल मुकर्रम या ज़ुल क़ा'दतिल ह़राम में साह़िबे निसाब होते रहे तो

1... ज़कात साल पूरा होने से पहले भी अदा की जा सकती है, साल पूरा होने पर उस माल की ज़कात दोबारा फ़र्ज़ न होगी। हां माल में अगर कमी ज़ियादती हो गई हो तो उस का ह़िसाब लगा लें, जितनी ज़ियादा बने वोह साल पूरा होने पर फ़ौरन अदा कर दें और अगर माल कम हो गया तो जितनी ज़ियादा अदा कर दी गई वोह दूसरे साल की ज़कात में भी शुमार कर सकते हैं। (फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, स. 150, 151)

अब अगर येह दस ग्यारह माह बा'द रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करेंगे तो गुनाहगार होते रहेंगे। उन्हें ज़न्ने ग़ालिब करना चाहिये कि उन पर किस दिन ज़कात फ़र्ज़ हुई थी और फिर जहां उन का ख़याल जम जाए कि उन पर उस दिन ज़कात फ़र्ज़ हुई थी तो फिर वोह उसी दिन के हिसाब से ज़कात अदा करें। याद रखिये ! जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर ज़कात के ज़रूरी अहकाम जानना भी फ़र्ज़ है। आज कल दुन्यवी ता'लीम तो बहुत सीखी जाती है, स्कूल, कॉलेज और यूनीवर्सिटी बल्कि अमरीका और जर्मनी के ता'लीमी इदारों तक की डिग्रियां हासिल की जाती हैं, मगर नहीं सीखी जाती तो नमाज़ नहीं सीखी जाती, वुज़ू नहीं सीखा जाता और वोह ज़रूरी मसाइल नहीं सीखे जाते कि जिन का सीखना फ़र्ज़ होता है और न सीखने के सबब बन्दा गुनाहगार होता है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/28)

सुवाल : क्या ज़कात के लिये नक़्द रक़म ही देना ज़रूरी है ?

जवाब : ज़कात के लिये नक़्द रक़म ही देना ज़रूरी नहीं है बल्कि कोई भी चीज़ मार्केट वेल्यू के हिसाब से ज़कात में दी जा सकती है। मसलन मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, जिस की रक़म दस हज़ार (10,000) रुपै है और मेरे पास सूटपीस रखा हुवा है जो मार्केट रेट के हिसाब से ढाई हज़ार (2500) रुपै का है, अगर मैं वोह सूटपीस बतौरे ज़कात किसी शरई फ़क़ीर को दे दूं तो मेरी कुल ज़कात के ढाई हज़ार (2500) रुपै अदा हो जाएंगे। इसी तरह अगर सोफ़ासेट हो और बरतन भी रखे हुए हों तो उन के ज़रीए भी ज़कात अदा की जा सकती है। नीज़ अगर अनाज रखा हुवा है या इफ़्तार के लिये शरबत की ख़ूब सूरत बोतलें रखी हुई हैं तो मार्केट

वेल्यू के हिसाब से इन के ज़रीए भी ज़कात अदा हो जाएगी और कोई शरई फ़क़ीर येह चीज़ें ज़कात में लेने से मन्अ भी नहीं करेगा बल्कि खुशी खुशी चूम कर लेगा।

याद रखिये ! ज़कात हर हाल में देनी है, लिहाज़ा येह ख़याल ज़ेहन से निकाल दीजिये कि ज़कात में सिर्फ़ रक़म ही देनी होती है, हालां कि आप चाहें तो ज़कात में क़लम और पेड भी दिया जा सकता है, दुकान का माल भी दिया जा सकता है। अलबत्ता जो भी चीज़ ज़कात में दें उस की मालिय्यत मार्केट रेट के हिसाब से लगाएं नीज़ वोह चीज़ माले मुतक़व्विम हो।[1] (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/224)

सुवाल : 1000 रुपै पर कितनी ज़कात बनेगी ?

जवाब : 25 रुपै ज़कात बनेगी। अगर आज के दौर में किसी के पास 1000 रुपै हाजते अस्लिय्या से ज़ाइद मौजूद हों तो उस पर ज़कात नहीं बनती, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिये और रक़म (या'नी निसाब की मिक़दार) चाहिये। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/115)

सुवाल : रक़म देते वक़्त ज़कात की निय्यत नहीं की थी, बा'द में याद आया तो अब क्या करे ?

जवाब : ज़कात की अदाएगी के लिये निय्यत करना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर किसी ने निय्यत किये बिग़ैर ज़कात की रक़म दे दी तो शरीअ़त ने इस में येह गुन्जाइश रखी है कि जब तक वोह रक़म ज़कात लेने वाला ख़र्च नहीं कर देता तब तक येह ज़कात देने वाला ज़कात की निय्यत कर सकता

1... माले मुतक़व्विम : वोह माल जो जम्अ़ किया जा सकता हो और शर्अ़न उस से नफ़्अ़ उठाना मुबाह़ हो। (ردالمحتار، 8/7)

है, इस की ज़कात अदा हो जाएगी। अगर वोह रक़म ज़कात लेने वाला इस्ति'माल कर चुका है तो अब निय्यत नहीं की जा सकती। (درمختار مع ردالمحتار، 3/222) जैसे किसी ने मुस्तहिक़्के ज़कात को 100 रुपै दिये मगर ज़कात की निय्यत नहीं की तो जब तक येह 100 रुपै उस के पास बि ऐनिही मौजूद हैं और उस ने कोई चीज़ उस रक़म से नहीं ख़रीदी तो अब ज़कात की निय्यत हो सकती है और अगर रक़म ख़र्च कर दी तो निय्यत नहीं हो सकती। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/69)

सुवाल : क्या एडवान्स ज़कात दे सकते हैं ?

जवाब : जी हां। (अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के क़रीब बैठे हुए मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है वोह एडवान्स ज़कात दे सकता है। इस में येह ज़रूरी होगा कि जिस वक़्त ज़कात का साल पूरा हो रहा हो उस वक़्त तक अगर अदा कर्दा ज़कात से ज़ियादा ज़कात बन रही हो या'नी एडवान्स में ज़कात अदा करने के बा'द माल में कुछ इज़ाफ़ा हो गया हो, उस का हिसाब कर के बक़िय्या माल की ज़कात भी अदा कर दे। (فتاویٰ ہندیہ، 1/176, बहारे शरीअ़त, 1/891, हिस्सा : 5)

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/126)

सुवाल : क्या इस्ति'माल वाली ज्वेलरी पर भी ज़कात लाज़िम है ?

जवाब : सोना चांदी चाहे इस्ति'माल में हों या न हों, शराइत़ पाई जाने की सूरत में इन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। (बहारे शरीअ़त, 1/882, हिस्सा : 5) जो औ़रतें सोने के ज़ेवरात पहनती हैं उन पर भी ज़कात देनी होगी जब कि शराइत़ पाई जाएं। (फ़तावा रज़विय्या, 10/129, फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, स. 333) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/15)

सुवाल : जिस पर ह़ज फ़र्ज़ हो गया हो वोह ज़कात दे या ह़ज करे ?

जवाब : अगर ज़कात की ह़द तक उस के पास माल है और ज़कात की तारीख़ आ गई तो ज़कात फ़र्ज़ हो गई। ज़ाहिर है अब उसे अपने माल का चालीसवां हिस्सा ज़कात में देना होगा और ह़ज फ़र्ज़ हो तो ह़ज भी करना होगा। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/62)

सुवाल : हमारे पास पांच तोला सोना और दस तोला चांदी है, क्या हमें ज़कात देना होगी ?

जवाब : पांच तोला सोना और दस तोला चांदी की रक़म को मिलाएंगे तो येह साढ़े बावन तोला चांदी की रक़म से बहुत ज़ियादा रक़म बनेगी, लिहाज़ा इस के साथ साथ अगर दीगर शराइत़ या'नी साल का गुज़रना वग़ैरा पाया गया तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। (بحرالرائق، 2/397, फ़तावा अहले सुन्नत, अह़कामे ज़कात, स. 213 मुलख़्ख़सन) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/214)

सुवाल : एक बेवा औ़रत को किसी ने घर ख़रीदने के लिये चार लाख रुपै दिये, अगर उस रक़म पर एक साल गुज़र जाए तो क्या उस की ज़कात देना होगी ?

जवाब : चार लाख रुपै बेवा औ़रत की मिल्क में आ चुके हैं, लिहाज़ा अगर येह रक़म ह़ाजत से ज़ाइद है तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। बा'ज़ लोगों पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ होता है और वोह येह सोच कर ज़कात नहीं निकालते कि घर में जवान बेटी बैठी हुई है, लिहाज़ा जब उस के फ़र्ज़ या'नी शादी वग़ैरा से फ़ारिग़ हो जाऊं फिर ज़कात दूंगा। ह़ालां कि जब ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो भले जवान बेटी घर में बैठी रहे, ज़कात देनी होगी। इसी त़रह़ अगर किसी ने ग़ौसे पाक की नियाज़ के लिये पैसे

जम्अ़ किये और ज़कात निकालने का वक़्त आ गया तो उन की भी ज़कात देनी होगी (जब कि वोह साहिबे निसाब हो और दीगर शराइते ज़कात पाई जाएं)। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/213)

सुवाल : कई मालदार लोगों पर लाखों करोड़ों रुपै की ज़कात फ़र्ज़ होती है मगर उन का कहना येह होता है कि हाथ में पैसे नहीं हैं तो हम ज़कात कैसे दें ? उन के बारे में कुछ इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब : ज़कात अदा करने के लिये करन्सी होना ज़रूरी नहीं। कपड़ा, लिबास, क़लम, कॉपियां, सोफ़ा, पलंग और घर के पर्दे या'नी हर वोह चीज़ जिसे माले मुतक़व्विम कहा जाता है, जिस के ज़रीए पैसे आते हैं और उस चीज़ में कोई शर्ई ख़राबी भी न हो या'नी वोह माले जाइज़ हो तो ऐसे माल को भी ज़कात में दिया जा सकता है[1] बल्कि देना पड़ेगा जैसा कि अनाज, इसे भी ज़कात में दे सकते हैं।

(इस मौक़अ़ पर निगरान ने फ़रमाया :) उन लोगों के पास वोह सोना या चांदी मौजूद होती है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई, दुकान या गोदाम में माले तिजारत रखा हुवा है या घर में वोह सामान मौजूद है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। करोड़ों रुपै के प्लॉट तिजारत के तौ़र पर ले कर रखे होते हैं लेकिन उन के दिमाग़ में येही बात बैठी हुई है कि पैसा फंसा हुवा है, कहां से ज़कात दें ? उन का येह ज़ेहन क्यूं नहीं बन रहा कि अपने उस सोने चांदी या माल से ही उतना हिस्सा ज़कात अदा कर दें।

(अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने फ़रमाया :) लोगों को सोचना चाहिये कि वोह अपना खाना पीना तो नहीं छोड़ते, रीफ़्रेश्मेन्ट

1... जिस चीज़ से ज़कात अदा की जाए उस का माले मुतक़व्विम होना ज़रूरी है, चाहे वोह उसी माल की जिन्स से हो जिस में ज़कात वाजिब हुई या उस के इलावा हो। (بدائع الصنائع، 2/146 ملتقطا)

करनी हो तो वोह भी करते हैं, अपनी तन आसानी के तमाम काम करते होंगे लेकिन जहां राहे ख़ुदा में देने की बात आए तो पैसे नहीं हैं! बहर ह़ाल ज़कात देने के लिये करन्सी शर्त नहीं है, अपने पास मौजूद माल में से भी ज़कात दे सकते हैं। अगर सोना है तो उसी में से ज़कात अदा कर दें, कहीं ऐसा न हो कि क़ियामत के दिन इसी को आग में तपा कर दाग़ दिया जाए।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/72)

सुवाल : हमारे यहां लोग रजबुल मुरज्जब, शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म और बिल ख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं तो इन महीनों में बा'ज़ लोग ज़कात के पैसे निकाल कर अपने ऑफ़िस या दुकान में रख लेते हैं और जब कोई मांगने आता है तो ज़कात के माल में से कुछ रक़म निकाल कर उन्हें दे देते हैं तो क्या इस त़रह़ ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब : अगर वोह फ़क़ीर नज़र आ रहा है और उसे ज़कात दे दी तो ज़कात अदा हो जाएगी।

(इस मौक़अ़ पर मदनी मुज़ाकरे में शरीक मुफ़्ती साह़िब ने फ़रमाया :)

मांगने वाला अगर फ़ुक़रा के साथ आया कि जिस से उस के फ़क़ीर होने का पता चल रहा है तो इस सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी और अगर मांगने वाले में फ़क़ीर होने की निशानियां नज़र नहीं आ रहीं तो अब

1... जैसा कि क़ुरआने मजीद में है : ﴿وَالَّذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۙ(۳۴) یَّوْمَ یُحْمٰى عَلَیْهَا فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ(۳۵)﴾ (پ10، التوبہ:34-35) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे **अल्लाह** की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें ख़ुश ख़बरी सुनाओ दर्दनाक अ़ज़ाब की। जिस दिन वोह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में फिर उस से दाग़ेंगे उन की पेशानियां और करवटें और पीठें येह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मज़ा इस जोड़ने का।

ज़कात देने वाले को सोचना पड़ेगा।[1] आज कल लोग या तो ज़कात से जान छुड़ा रहे होते हैं या ज़कात अदा करते हुए तवज्जोह नहीं रख रहे होते और बारहा ऐसा होता है कि जो मांगने आ रहे होते हैं उन में से बहुत से अफ़राद क़त्अ़न ज़कात के मुस्तहिक़ ही नहीं होते बल्कि उन में से बा'ज़ तो मुसल्मान तक नहीं होते, लेकिन लोग ज़कात का माल उठा उठा कर उन्हें दे रहे होते हैं। इसी त़रह़ बा'ज़ मख़्सूस घरों में हर त़रह़ के लोग आ रहे होते हैं और वोह लाइनें बनवा बनवा कर उन में ज़कात बांट रहे होते हैं और इस बात का बिल्कुल ख़याल नहीं रखते कि लेने वाला मुसल्मान भी है या नहीं ? बस उन की येह आ़दत बनी होती है कि हर साल यहां भीड़ लगेगी और जो लेने आएगा हमें उस को पैसे देने हैं। ज़कात की अदाएगी का येह त़रीक़ए कार बिल्कुल ग़लत़ है और ज़कात के मक़ासिद को ख़त्म करने वाला है, लिहाज़ा जो मुस्तहिक़ हो उस तक ज़कात पहुंचानी चाहिये। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/264)

सुवाल : ज़कात किस को दी जा सकती है ? मैं ने सुना है, अगर किसी के पास सिर्फ़ एक तोला सोना हो तो उस को ज़कात नहीं दे सकते, ह़ालां कि मैं ने ऐसी बेवा ख़वातीन को देखा है जिन की बेटियां भी होती हैं और

1... सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत़्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़म رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जिस ने तह़र्री की या'नी सोचा और दिल में येह बात जमी कि इस को ज़कात दे सकते हैं और ज़कात दे दी बा'द में ज़ाहिर हुवा कि वोह मस्रफ़े ज़कात है या कुछ ह़ाल न खुला तो अदा हो गई। अगर बे सोचे समझे दे दी या'नी येह ख़याल भी न आया कि उसे दे सकते हैं या नहीं और बा'द में मा'लूम हुवा कि उसे नहीं दे सकते थे तो अदा न हुई, वरना हो गई और अगर देते वक़्त शक था और तह़र्री न की या की मगर किसी त़रफ़ दिल न जमा या तह़र्री की और ग़ालिब गुमान येह हुवा कि येह ज़कात का मसरफ़ नहीं और दे दिया तो इन सब सूरतों में अदा न हुई मगर जब कि देने के बा'द येह ज़ाहिर हुवा कि वाक़ेई वोह मस्रफ़े ज़कात था तो हो गई।

(बहारे शरीअ़त, 1/932, ह़िस्सा : 5 मुल्तक़त़न)

पन्दरह बीस हज़ार महीने का आता है उसी पर ब मुश्किल गुज़ारा कर रही होती हैं।

जवाब : ज़कात उसे दी जाती है जो शरई तौर पर फ़क़ीर हो और हाशिमी न हो। (درمختار، 3/203، 206 ماخوذا) चौदह या पन्दरह हज़ार माहाना आता है और एक तोला सोना मौजूद है, इन चीज़ों का देखना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उन के पास एक तोला सोना तो हो मगर येह उस से ज़ियादा की मक़रूज़ हो तब भी वोह शरई फ़क़ीर के तह़त आएगी।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/434)

सुवाल : जो शख़्स तक़रीबन 10 हज़ार रुपै माहाना कमाता हो और उस के पास साढ़े 52 तोला चांदी के बराबर माल भी न हो तो क्या उस को ज़कात दे सकते हैं ?

जवाब : ज़कात में येह नहीं देखा जाता कि इन्सान कम कमाता है या ज़ियादा नीज़ दस बीस हज़ार आमदनी होना भी ज़कात की शराइत़ में शामिल नहीं है, क्यूं कि बा'ज़ अवक़ात आदमी 50 हज़ार कमाता है लेकिन ख़ानदान बड़ा होने और अख़राजात ज़ियादा होने की वज्ह से उस के लिये 50 हज़ार भी नाकाफ़ी होते हैं। बहर ह़ाल अगर वोह शराइत़ पर पूरा उतरता है तो ज़कात ले सकता है वरना नहीं ले सकता।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/245)

1... ज़कात लेने का ह़क़दार शरई फ़क़ीर है, शरीअ़ते मुत़हहरा ने शरई फ़क़ीर होने का एक ख़ास मे'यार बयान फ़रमाया है। चुनान्चे मुस्तह़िक़्क़े ज़कात होने की बुन्यादी शर्त़ येह है कि बालिग़ शख़्स ह़ाजते अस्लिय्या से ज़ाइद कम अज़ कम मिक़्दारे निसाब का मालिक न हो, निसाब की मिक़्दार साढ़े बावन तोला चांदी की रक़म है। लिहाज़ा अगर किसी के पास ह़ाजते अस्लिय्या से ज़ाइद कपड़े हों या ज़ाइद अश्या हों मसलन टीवी हो और इन की मुश्तरिका क़ीमत साढ़े बावन तोला चांदी की रक़म के बराबर पहुंच जाए तो ऐसा शख़्स ज़कात का मुस्तह़िक़ नहीं। (फ़तावा अहले सुन्नत, किताबुज़्ज़काह, स. 447)

सुवाल : मेरी बहन के पांच छोटे बच्चे हैं और उन के शौहर बे रोज़गार हैं तो क्या मैं उन को अपनी ज़कात और फ़ित्रे की रक़म दे सकती हूं ?

जवाब : बहन भाई आपस में एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं जब कि ज़कात का हक़दार होना पाया जाए ।

(फ़तावा रज़विय्या, 10/110 माख़ूज़न) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/394)

सुवाल : क्या अ़लवी को ज़कात दे सकते हैं ?

जवाब : अ़लवी को ज़कात नहीं दे सकते क्यूं कि वोह हाशिमी है ।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/235)

सुवाल : क्या अ़लवी भी सय्यिद होते हैं ? नीज़ अ़लवी और सय्यिद में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब : हज़रत अ़लिय्युल मुर्तज़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ की बीबी फ़ातिमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا से जो औलाद है या'नी हज़रते इमामे हसन और इमामे हुसैन رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا से जो नस्ल चली है, वोह सय्यिद कहलाते हैं । (اجمال ترجمہ اکمال ہامش علی مراۃ المناجیح، 8/102) जब तक बीबी फ़ातिमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا हयात रहीं तब तक हज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ को हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की तरफ़ से दूसरे निकाह की इजाज़त नहीं थी । (मिरआतुल मनाजीह, 8/456) जब बीबी फ़ातिमा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا का विसाल हुवा तो हज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ ने दूसरा निकाह किया । उन से जो नस्ल चली वोह अ़लवी कहलाते हैं, येह सिर्फ़ हाशिमी हैं, सय्यिद

1... बनू हाशिम और बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब से मुराद पांच ख़ानदान हैं, आले अ़ली, आले अ़ब्बास, आले जा'फ़र, आले अ़क़ील, आले हारिस बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब । इन के इलावा जिन्हों ने नबी صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की इआनत न की मसलन अबू लहब कि अगर्चे येह काफ़िर भी हज़रते अ़ब्दुल मुत्तलिब का बेटा मगर इस की औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी । (فتاوی ہندیہ، 1/189)

www.dawateislami.net

नहीं। सय्यिद और अ़लवी दोनों हाशिमी हैं और येह दोनों ज़कात नहीं ले सकते। (बहारे शरीअ़त, 1/931, ह़िस्सा : 5) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/207)

सुवाल : क्या सय्यिद अपनी ग़रीब बहन को ज़कात दे सकता है ?

जवाब : ज़कात देने वाला चाहे सय्यिद हो या ग़ैरे सय्यिद दोनों सय्यिद को ज़कात नहीं दे सकते और न ही सय्यिद ज़कात ले सकता है। (बहारे शरीअ़त, 1/931, ह़िस्सा : 5) अगर सय्यिद ख़ुद साह़िबे निसाब हों तो ज़कात की बाक़ी शराइत़ भी पाई जाने की सूरत में सय्यिद साह़िब को ज़कात निकालनी होगी। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/408)

सुवाल : ज़कात देते वक़्त मा'लूम नहीं था कि येह सय्यिद ज़ादे हैं और उन्हें ज़कात दे दी, बा'द में येह बात मा'लूम हुई तो क्या करें ?

जवाब : ज़कात देते वक़्त पता नहीं था कि येह सय्यिद साह़िब हैं और इन्हें मुस्तह़िक़्क़े ज़कात समझ कर ज़कात दे दी तो येह ज़कात अदा हो जाएगी। (ردالمحتار، 3/353) आज कल लोग ग़ौरो फ़िक्र करने की ज़ह़मत भी गवारा नहीं करते कि पहले अच्छी त़रह़ देख लें, आया सामने वाला ज़कात का मुस्तह़िक़ है भी या नहीं, बस जो मा'ज़ूर या नाबीना या ऐसा वैसा कोई नज़र आया उस को ज़कात की रक़म दे देते हैं बल्कि बा'ज़ तो सामने वाले से पूछ रहे होते हैं क्या ज़कात लोगे ? चाहे वोह खाता पीता ही क्यूं न हो।

बहर ह़ाल जब ज़कात दे रहे हों तो मा'लूमात कर लेनी चाहिये, लेकिन जिस को ज़कात दे रहे हैं अगर वोह ह़क़दार हो तो उस से नहीं पूछना चाहिये कि ज़कात लोगे ? न उस को बताना चाहिये कि येह ज़कात है कि इस से इ़ज़्ज़ते नफ़्स का मस्अला होता है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/208)

सुवाल : कुछ लोग ग़रीब होने के बा वुजूद ज़कात, सदक़ात या गोश्त वग़ैरा लेने से इन्कार कर देते हैं, उन्हें येह चीज़ें किस त़रह़ दी जाएं ?

जवाब : सफ़ेद पोश आदमी ज़कात लेने से कतराता है, लिहाज़ा उसे ज़कात कह कर नहीं देनी चाहिये, येह भी न कहें कि येह ज़कात नहीं है बल्कि गिफ़्ट कह कर दे दें या मुंह से कुछ भी न बोलें। अगर कोई ह़क़दार है तो उसे सदक़ा या ज़कात कह कर देना ज़रूरी भी नहीं। (فتاویٰ ہندیہ، 1/171) दिल में ज़कात की निय्यत होना काफ़ी है बल्कि अगर किसी को ज़कात देते वक़्त निय्यत नहीं थी तो जब तक वोह चीज़ ज़कात लेने वाले के पास है, मसलन रक़म थी और उस ने अभी तक ख़र्च नहीं की या खाने की चीज़ थी और उस ने अब तक नहीं खाई तो अब भी ज़कात की निय्यत कर सकते हैं। (درمختار، 3/222) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/134)

सुवाल : क्या ऐसा तंगदस्त आदमी जिस के घर में ज़रूरत से ज़ाइद चीज़ें भी मौजूद हों, वोह ज़कात ले सकता है ?

जवाब : ज़कात लेने वालों को ख़ूब सोच समझ कर ज़कात लेनी चाहिये, क्यूं कि ऐसा भी होता है कि उन के पास ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी से ज़ाइद चीज़ें भी होती हैं। मसलन ज़रूरत से ज़ाइद बरतन, ज़रूरत से ज़ाइद फ़र्नीचर और इज़ाफ़ी मल्बूसात के कई कई जोड़े होते हैं। हां अगर वोह ज़रूरत के हैं फिर तो ठीक है, जैसे सर्दी और गर्मी के अ़लाह़दा जोड़े, येह ज़रूरिय्यात में शामिल हैं (رد المحتار، 3/347) मगर बहुत सी चीज़ें ज़ाइद भी होती हैं। कई लोगों के घरों में लाखों रुपै के शोपीस (Showpiece) रखे होते हैं तो येह सब देख लें कि अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़ियादा इतनी चीज़ें मौजूद हैं जिन की रक़म निसाब जितनी हो तो ऐसा शख़्स

ज़कात नहीं ले सकता। (ردالمحتار، 3/346) इस के बा वुजूद लोग सोचे समझे बिग़ैर दबादब ज़कात ले रहे हैं।

(इस मौक़अ़ पर निगरान ने फ़रमाया :) हमारे यहां एक मा'मूल बन चुका है कि हर तंगदस्त को ग़रीब क़रार दे दिया जाता है, या'नी बुन्यादी तौ़र पर वोह शख़्स ग़रीब नहीं होता, घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है मगर सिर्फ़ पैसा हाथ में नहीं, कुछ कारोबार तंग है तो ख़र्चा न होने के बाइ़स वोह ज़कात लेने की त़रफ़ बढ़ जाता है। देखा गया है कि कुछ बिरादरियां जब अपनी कम्यूनिटी (Community) के मुस्तह़िक़ अफ़राद में ज़कात बांटती हैं तो जांच पड़ताल का मे'यारी निज़ाम न होने की वज्ह से ऐसे लोगों में भी ज़कात बांट दी जाती है जो ज़कात के मुस्तह़िक़ नहीं होते। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/71)

सुवाल : कोई ज़कात दे और येह कहे कि येह सिर्फ़ इ़लाज के लिये है तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब : अगर उस माल का उसे मालिक कर दिया तो ज़कात अदा हो जाएगी, येह शर्त लगाना कि इ़लाज के लिये है, येह शर्ते फ़ासिद है। उस की मरज़ी है कि वोह उस रक़म से इ़लाज करवाए या न करवाए, ज़कात में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ज़कात सदक़ा है और सदक़ा शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होता जैसे इ़लाज का कहे कि येह रक़म इ़लाज के लिये है बल्कि वोह शर्त ही फ़ासिद हो जाती है, मसलन ज़कात दी और येह शर्त कर ली कि यहां रहेगा तो दूंगा वरना न दूंगा, इस शर्त पर देता हूं कि तू येह रुपिया फ़ुलां काम में सर्फ़ करे इस की मस्जिद बना दे या कफ़ने

अम्वात में उठा दे तो क़त्अ़न ज़कात अदा हो जाएगी और येह शर्तें सब बातिल व मोहमल ठहरेंगी । (फ़तावा रज़विय्या, 10/67) इसी त़रह़ कोई ज़कात दे कर कहे कि इस ज़कात से फ़ुलां काम करना है और उस ने ज़कात क़बूल कर ली, येह शर्त़ फ़ासिद हो जाएगी तो अब उस की मरज़ी है कि वोह काम करे या न करे। ऐसा ही हिबा में होता है जैसे कोई कपड़ा दे और कहे कि ख़ुद पहनना है, येह शर्तें फ़ासिद है, लिहाज़ा उस की मरज़ी है कि वोह पहने या न पहने । (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/55)

सुवाल : बा'ज़ बिरादरियों में ज़कात फ़न्ड का सिस्टम राइज होता है, जिस के बाइ़स बिरादरी के लोगों को ज़ोर दिया जाता है कि वोह अपनी ज़कात की रक़म इसी फ़न्ड में जम्अ़ करवाएं, लिहाज़ा उन्हें मजबूरन बिरादरी के फ़न्ड में अपनी ज़कात जम्अ़ करवाना पड़ती है। इस रक़म का इस्ति'माल कुछ इस त़रह़ होता है कि बिरादरी में किसी भी शख़्स का इन्तिक़ाल हो जाए अगर्चे वोह अमीर कबीर ही क्यूं न हो, उस के जनाज़े वग़ैरा के इन्तिज़ामात में जो भी रक़म लगेगी वोह इसी ज़कात फ़न्ड से दी जाती है, ह़ालां कि वोह इस का मुस्तह़िक़ नहीं होता। इस ह़वाले से सुवाल येह है कि बयान कर्दा सूरत में इस फ़न्ड के लिये ज़कात जम्अ़ करवाना और फिर ज़कात की रक़म का इस त़रह़ इस्ति'माल करना दुरुस्त है या नहीं ?

जवाब : कोई भी इदारा हो उस के लिये मश्वरा है कि वोह उ़लमाए किराम से राहनुमाई ह़ासिल कर के ही काम करे । येह ह़क़ीक़त है कि बिरादरी सिस्टम, समाजी इदारों और हस्पतालों में जो ज़कात ली जाती है उस का Misuse (या'नी ग़लत़ इस्ति'माल) हो रहा होता है। हम ने एक

बार बिरादरियों के ज़िम्मेदारान को जम्अ़ कर के उन का इज्लास रखा था। मैं ने इज्लास में उन के सामने ज़कात के ह़वाले से येह बयान किया कि बिरादरी के फ़न्ड वग़ैरा में जम्अ़ होने वाली ज़कात की रक़म को सब पर बिला इम्तियाज़ इस्ति'माल करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन इस का कोई ख़याल नहीं रखा जाता। इसी त़रह़ अगर कोई बीमार आता है तो उस को उसी रक़म से इन्जेक्शन वग़ैरा लगवा दिया जाता है या डॉक्टर की फ़ीस अदा कर दी जाती है, लेकिन येह इन्जेक्शन या वोह रक़म उस के क़ब्ज़े में नहीं दी जाती और इस त़रह़ वोह ज़कात की रक़म ज़ाएअ़ हो जाती है, क्यूं कि ज़कात की अदाएगी के लिये ज़रूरी है कि उस रक़म का किसी मुस्तह़िक़्क़े ज़कात को मालिक बनाया जाए वरना ज़कात अदा ही नहीं होगी। (फ़तावा रज़विय्या, 10/255) हां ! अगर ऐसा सिल्सिला हो कि इन्जेक्शन उस फ़क़ीरे शर्ई मरीज़ को दे कर उस को मालिक बना दिया जाए फिर वोह ख़ुद कहे कि येह इन्जेक्शन मुझे लगा दो तो येह जाइज़ होगा और इस त़रह़ ज़कात भी अदा हो जाएगी। अगर कोई मुस्तह़िक़्क़े ज़कात मरीज़ हस्पताल में एडमिट होता है तो इन्तिज़ामिया उस के Bed का किराया, दवाओं की रक़म और डॉक्टर की फ़ीस वग़ैरा ज़कात के फ़न्ड से काट लेती है और यूं ज़कात के लिये जम्अ़ की गई रक़म ज़ाएअ़ हो जाती है, ह़ालां कि अगर येह लोग रक़म और दवाओं को उस फ़क़ीरे शर्ई मरीज़ की मिल्क करने के बा'द उस की इजाज़त से इस्ति'माल करते तो ज़कात अदा हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता तो यूं जिस ने येह रक़म जम्अ़ करवाई होती है उस की ज़कात अदा ही नहीं हो रही होती,

बल्कि उलटा गुनाहों का अम्बार लग रहा होता है और इन्तिज़ामिया के अराकीन बेचारे येह समझ रहे होते हैं कि हम क़ौम की ख़िदमत कर रहे हैं। येह सब उ़लमाए किराम से राहनुमाई लिये बिग़ैर क़दम उठाने का नतीजा है और येह ख़ुद को Risk (ख़त़रे) में डालने वाली बात है। जो लोग इस त़रह़ के काम कर रहे होते हैं बद क़िस्मती से वोह उ़लमाए किराम से राबित़ा भी नहीं रखते, उन बेचारों को तो इतनी भी समझ नहीं होती कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है ? कैसे अदा की जाती है ? और इस का इस्ति'माल किस त़रह़ होता है ? लिहाज़ा उन्हें चाहिये कि क़दम क़दम पर उ़लमाए किराम से राहनुमाई लेते हुए काम करें और येह बात ज़ेह्न नशीन कर लें कि येह मन्सब सिर्फ़ उ़लमा ही का है। इस्लाम और शरीअ़त के मुआ़मलात में अपनी अ़क़्ल इस्ति'माल करने के बजाए उ़लमा को ही येह मुआ़मलात ह़ल करने दिये जाएं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/240)

सुवाल : कहते हैं : पैसे गिन कर रखे जाएं वरना शैत़ान उठा कर ले जाता है, क्या येह बात सह़ीह़ है ?

जवाब : पैसे ज़रूर गिनने चाहिएं ताकि ज़कात वग़ैरा के ह़िसाब में आसानी रहे। रही बात शैत़ान से बचाने के लिये गिनना तो येह किसी ने ऐसे ही मश्हूर कर दिया है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/514)

नोट : सफ़ह़ा नम्बर 1 का पहला और सफ़ह़ा नम्बर 6 का दूसरा सुवाल "अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या" की त़रफ़ से क़ाइम किया गया है जब कि जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का ही अ़त़ा फ़रमूदा है।

फ़रमाने ﷺ आख़िरी नबी

"अपने माल की ज़कात निकाल कि वोह पाक करने वाली है, तुझे पाक कर देगी।"

(مسند امام احمد، 4/274، حدیث:12397)